इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 फरवरी 2013—माघ 16, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2013

क्र. 620-47-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 फरवरी 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१३

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम, २०१२

[दिनांक ४ फरवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ५ फरवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ को निरसित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से अभिप्रेत है, धारा १ की उपधारा (२) के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख;

(ख) "निरसित अभिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००).

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) नियत दिन को, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००) निरसित हो जाएगा.

(२) इस निरसन से,—

(क) किसी अन्य अधिनियमिति पर, प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है; अथवा

(ख) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता व दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्‌भूत या उपगत किया गया हो; अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात के परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; अथवा

(घ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के विरुद्ध कारित किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; अथवा

(ङ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां या उपचार इस प्रकार जारी रखे जा सकेंगे या प्रवर्तित किए जा सकेंगे मानों कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ हो.

(३) निरसन के या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन को तथा से निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिताएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जाएंगी तथा उक्त अधिनियम के उपबंध ऐसी सहकारिताओं को विनियमित करने हेतु लागू होंगे.

(४) निरसन के होते हुए भी, किसी भी प्रकृति की ऐसी समस्त संविदाएं, बंधपत्र, विलेख, करार और अन्य लिखतें जो नियत दिन को विद्यमान या प्रभावी हों, और जिनमें निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिता एक पक्षकार हो, ऐसी तारीख से पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावशील होंगी.

(५) निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम के अधीन सहकारिता के निदेशक बोर्ड द्वारा बनाई गई उपविधियां और विनियम, जहां तक वे मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) और उसके अधीन बनाए गए, नियमों के उपबंधों से असंगत न हों, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन परिवर्तित या विखंडित न कर दिए जाएं.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2013

क्र. 621-47-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2013

THE MADHYA PRADESH SWAYATTA SAHAKARITA (NIRSAN) ADHINIYAM, 2012

[Received the assent of the Governor on the 4th February, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5th February, 2013.]

An Act to repeal the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita (Nirsan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "appointed day" means the date of commencement of this Act under sub-section (2) of Section 1.

(b) "repealed Act" means the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000).

Repeal and savings.

3. (1) On the appointed day, the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000) shall stand repealed.

(2) The repeal shall not affect,—

(a) any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act so repealed; or

(c) the previous operation of the Act so repealed or consequences of any thing already done or suffered thereunder; or

(d) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the Act so repealed; or

(e) any legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid and any such legal proceedings or remedy may be continued or enforced as if this Act had not been passed.

(3) Notwithstanding the repeal or anything contained in any law for the time being in force or in any contract, on and from the appointed day, the cooperatives registered under the repealed Act shall be deemed to registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) and the provisions of the said Act shall be applicable for regulation of such cooperatives.

(4) Notwithstanding the repeal, all contracts, bonds, deeds, agreements and other instruments of whatever nature subsisting or having effect on the appointed day and wherein the co-operative registered under the repealed Act is a party shall from such date of full force and effect.

(5) Notwithstanding the repeal, the bye-laws and regulations made by the Board of Directors of the Cooperative under the repealed Act shall in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (NO. 17 of 1961) and the rules made thereunder, continue in force until altered or rescinded under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी 2013—माघ 23, शक 1934

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्र. एफ-5-4-2012-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 1 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा 13 फरवरी 2013 की तारीख को उक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए नियत करती है.

No. F-5-4-2012-XV-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section (1) of the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita (Nirsan) Adhiniyam, 2012 (No. 13 of 2013), the State Government hereby appoints the 13th February 2013 as the date on which the said act shall come into force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.